अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI-110001
TEL.: 23016344/23016422 Fax: [illegible]

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/150/2017-18 13 फरवरी, 2018

सेवा में,

डॉ. चमनलाल अग्रवाल,
8/1493, मदन पुरी,
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

आपका 28.01.2018 का पत्र इस सचिवालय में 03.02.2018 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ आपने 10/- रूपये का पो.आ.सं. 31F 998882 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पत्र की विषय-वस्तु इस सचिवालय से संबंधित नहीं है। आपने अपने आवेदन में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विषय में जानकारी मांगी है। इस विषय में आपको सलाह दी जाती है कि कृपया सीधे संबंधित मंत्रालय/विभाग संपर्क करने का कष्ट करें।

अत: आपका पत्र दस रूपये के पो.आ. सं. 31F 998882 सहित मूल रूप में आपको वापिस लौटाया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,
हुरबी शकील
(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST
13/2/18

भारतीय पोस्टल आर्डर
INDIAN POSTAL ORDER

डाक महानिदेशक DIRECTOR GENERAL OF POSTS.

PAY TO वित्त अधिकारी, राज्य सभा नई दिल्ली-

दस रुपए की रक़म THE SUM OF RUPEES TEN ONLY को

₹ 10

डाक टिकट
POSTAGE STAMPS

कमीशन COMMISSION रुपया 1 RUPEE

प्रेषक अपना नाम और पता यहां लिख दे।
SENDER MAY FILL IN HIS NAME AND ADDRESS HERE.

AT THE POST OFFICE AT

डॉ. रामचन्द्र
311493, महरौली
सहारनपुर (उ.प्र.)

पोस्ट मास्टर POSTMASTER

के डाकघर में अदा करें।

इस लाइन के नीचे मत लिखिए DO NOT WRITE BELOW THIS LINE

31F 998882

के
लिए
अलग
पा

PTI No. 150

2025
03.02.18

रजिस्टर्ड पत्र

माननीय श्री वेंकैया नायडू जी,
अध्यक्ष, राज्य सभा,
संसद भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

सहारनपुर (उ.प्र.)
28.1.2018

विषय:- भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामान्य जनता को लूटकर उद्योगपति व कारपोरेट जगत का पोषण। R.T.I. को मजाक उड़ाना।

मान्यवर,

उक्त विषय पर मैंने आपको 25.12.2017 को पंजीकृत पत्र लिखकर सारी स्थिति की जानकारी दी थी और यथाशीघ्र उत्तर देने का उचित निर्देश का अनुरोध किया था। एक महीना बीत गया आपकी ओर से कोई सूचना नहीं मिली। आपकी इस खामोशी को क्या जनता के प्रति लापरवाही नहीं कहा जाना चाहिए। संविधान की रक्षा की शपथ लेकर उच्च संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति क्या संविधान प्रदत्त जनता के अधिकारों को अनदेखा करके संविधान का पालन करता हुआ लोकतंत्र की रक्षा करता है?

25.1.2018 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकार व कर्तव्य के बीच समुचित सन्तुलन बनाए रखा जाना चाहिए। क्या आप की खामोशी कर्तव्य-पालन को ही बताती है? या फिर आप जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कुछ मन्त्रालयों को जनता को लूटने की कवायद पर चुप्पी साधकर कैसा कर्तव्य निभा रहे हैं? उन मन्त्रालयों (विशेषतः वित्त, रेल व मानव संसाधन विकास) पर अपेक्षित अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? ये सभी P.M.O. के आदेश को भी पालन नहीं कर रहे। मेरा R.T.I. के अन्तर्गत पत्र P.M.O. को 23 पन्नों का लिखा गया था जिस पर P.M.O. ने इन्हें सीधे उत्तर देने को कहा था। पर उत्तर आज तक नहीं मिला। क्या यह व्यवहार न्याय-संगत है? स्टाफ पूरा फिर भी जनता को R.T.I. तक का उत्तर न देकर C.I.C. का काम बढ़ाना क्या नैतिक व संवैधानिक है?

क्या रेल मन्त्रालय यह बताने का कष्ट करेगा कि 80,000 लाख करोड़ का कर्ज लेकर जो बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है, उसकी (लागत) उपयोगिता कैसे करेगा? क्या सामान्य जनता? जो इस ट्रेन का लाभ नहीं ले पाएगी। अव्यवस्था से रेल गाड़ियों की चाल बेहाल है। बीच मार्ग में रद्द की जा रही हैं। फिर किस आधार पर स्लीपर का किराया बढ़ाया गया है? पिछली सर्दी का, जब

क्या यह उचित या समाजिक न्याय की भावना के अनुकूल है?
मुझे उत्तर पाने के लिए विवश होकर R.T.I का
सहारा लेना पड़ रहा है।
आशा है आप मेरे इन प्रश्नों का सटीक उत्तर 15 दिन में
देंगे।

(1) रेल मन्त्रालय का व्यवहार का खुलासा करेंगे। सम्बन्धी
(2) वित्त मन्त्रालय द्वारा मेरे R.T.I का उत्तर न देना।
(3) शिक्षा मन्त्रालय की रवामोशी

इस उद्देश्य के लिए 10/- का I.P.O साथ लगा रहा हूँ।
उत्तर आने पर मामला C.V.C को भेजा जाएगा।

सधन्यवाद,

संलग्न I.P.O

भवदीय

(डॉ. रामलाल अग्रवाल)
8/1493, मदन पुरी,
सहारनपुर (उ.प्र.)